न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 14/2023

GCMS NO. : 2023/17

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नी बालु जाति सीरवी, निवासी पाटवा हाल राजादण्ड तहसील जैतारण जिला पाली।		1. रावतराम पुत्र मोतीराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
2. सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नी स्व0 लिखमाराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।		2. नोजीदेवी पत्नी रावतराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
		3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/02/2023

उपस्थितः– 1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री मोहम्मद शरीफ पठान, अधिवक्ता वादी।
2. श्री घनश्याम सिंगाडिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 12/05/2023

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि राजस्व मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैड़कलां, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360/1245 रकबा 11.8735 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर सभी किस्म चाही सोयम आई हुई है। उपर्युक्त वर्णित खसरान की भूमि में वादीगण के जायन्दा पिता पीथा वल्द जगमाल कौम सीरवी साकिन पाटवा का 1/4 वां हक हिस्सा व खातेदारी भूमि है इसी के माफिक वादीगण बतौर विधिक उत्तराधिकारी के उपर्युक्त वर्णित खसरान की भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार के कब्जा व हक अधिकार चला आ रहा है। सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, तहसील जैतारण में वादीगण की पुश्तैनी/पैतृक भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 1.8777 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 229 रकबा 1.6997 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के जायन्दा पिता पीथा वल्द जगमाल जी सीरवी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण बतौर विधिक उत्तराधिकारी के खातेदार काश्तकार के काबिज है। वादपत्र में वर्णित ... के दौरान वादीगण के पिता पीथा वल्द जगमाल कौम सीरवी ... बतौर खातेदार काश्तकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

काबिज थे तथा मिसल बन्दोबस्त गय सम्वत् 2017–2028 की जमाबन्दी खतौनी में वादीगण के पिता पीथा वल्द जगमाल जी का नाम दर्ज है उक्त जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रतियां दावे के साथ सलंग्न है। वंशावली के अनुसार पीथा वल्द जगमाल जी सीरवी की दो जायन्दा पुत्रियां वादी संख्या–01 मांगुडी व वादी संख्या–02 सुन्दरीदेवी है तथा भूरी पत्नि पीथा जी का देहान्त पीथा जी के जीवनकाल में ही हो गया। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण के अलावा पीथा वल्द जगमाल जी सीरवी के अन्य कोई विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी नहीं है। वादीगण अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। इस वजह से वादीगण के पिता पीथा वल्द जगमाल जी देहान्त के बाद उपर्युक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई। मगर पीथा वल्द जगमाल जी के देहान्त के बाद तत्कालीन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 356, 359, 360/1245, 364 प्रतिवादी संख्या एक रावतराम के नाम बाले–बाले नामान्तरकरण संख्या 536 के इन्द्राज कर दी, तथा वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 184 एवं 229 वादीगण के नाम जरिए नामान्तरकरण संख्या 536 के राजस्व रेकर्ड अमल दरामद की गई।

जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 356 359, 360/1245 व खसरा नम्बर 364 में प्रतिवादी संख्या एक रावतराम का कानूनी तौर से कोई हक अधिकार है ही नहीं, ना ही स्वर्गीय श्री पीथा जी का विधिक वारिसान है फिर भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रतिवादी संख्या एक रावतराम ने मिलीभगत कर बाले–बाले वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 536 पीथा जी का गोद जाने का हवाला देकर अपने नाम भरवा कर ग्राम पंचायत से दिनांक 5/01/1976 को स्वीकृत करवा दिया। उक्त नामान्तरकण की प्रमाणित प्रति दावे के साथ सलंग्न है। तत्पश्चात् जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2033–2036 में कांट–छांट करवाकर वादग्रस्त आराजी अपने नाम इन्द्राज करवा दी, उक्त जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2033–2036 की प्रमाणित प्रतियां दावे के साथ सलंग्न है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 184 व खसरा नम्बर 229 की भूमि जरिए नामान्तरकरण संख्या 536/5.01.1976 को वादीगण के नाम इन्द्राज करवाया। वादीगण के पिता पीथा एवं माता भूरी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं. 1 रावतराम को सामाजिक स्तर पर गोद नहीं लिया, ना ही विधिवत् रुप से गोदनामा पंजीबद्ध करवाया, इस प्रकार छल व कपटपूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भरा गया नामान्तरकरण संख्या 536 आंशिक रुप से गलत एवं विधि विरुद्ध है। इसलिए दावा बाबत् रद्द घोषित करवाने नामान्तरकरण संख्या 536/5.01.1976 खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 एवं खसरा नम्बर 229 कुल रकबा 22–02 बीघा भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार के वादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 रावतराम ने आपराधिक षडयंत्र रचकर छल एवं कपटपूर्वक लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 21/12/2004 को अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या–2 नोजीदेवी के पक्ष में निष्पादित करवाया। जबकि उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 21/12/2004 की जानकारी/इल्म [illegible] को है ही नहीं, ना ही उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान में वर्णित प्रतिफल की राशि [illegible] को अदा की गई, केवल वादीगण अशिक्षित एवं अनपढ़ होने की वजह से उनको [illegible] में रखकर प्रतिवादी संख्या दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

के पक्ष में बैचान नामा चुपके-चुपके निष्पादित करवाया, उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 21/12/2004 फर्जी एवं कूटरचित है जिसे निरस्त/रद्द करवाने हेतु वादीगण सिविल न्यायालय में अलग से कानूनी कार्रवाही करेगी। उक्त छलपूर्वक करवाया गया लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 21/12/2004 से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 में वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है आज भी वादीगण ही फसलों की पैदावार करते आ रही है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-2 नोजीदेवी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 में प्रतिवादी संख्या-2 के नाम राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री के रुप में दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जावे। फर्जी बैचाननामे के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1655 दिनांक 11.12.2007 को भरा जाकर दिनांक 28/10/2011 को स्वीकृत किया गया, उक्त नामान्तकरण संख्या 1655 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ सलंग्न है। नामान्तरकरण संख्या 536 आंशिक एवं नामान्तरकरण संख्या 1655 पूर्णतया वादीगण के हक अधिकारों के विरुद्ध अवैध एवं गैरकानूनी होने से रद्द घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है उक्त नामान्तरकरण को रद्द घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में मृतक पीथा वल्द जगमाल जी की बतौर उत्तराधिकारी वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार के रुप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे, ऐसी खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए दावा बाबत् घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 15/01/2023 का प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया धमकी देकर कहा कि- वादग्रस्त भूमि हमारे नाम से होने से तुम्हे बेदखल कर हम इस जमीन पर कब्जा करके बैचान कर देंगे, इस पर वादीगण ने राजस्व नकले प्राप्त करने पर मालुम हुआ कि वादग्रस्त पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 356, 359, 360/1245, 364 व खसरा नम्बर 184 में प्रतिवादीगण का नाम रोंग एन्ट्री के रुप में दर्ज है इसी वजह से प्रतिवादीगण, वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारु है यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करने में सफल होने पर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, साथ ही वादीगण अपने पूर्वजों की पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त जमीन से हमेशा हमेशा के लिये महरुम हो जायेगी, इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार जैतारण जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से प्रार्थना-पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 15/01/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर बैचान, हस्तान्तरण, बेदखल करने की एलानिया धमकी देने, तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त होने पर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम रोंग एन्ट्री की सर्व प्रथम जानकारी/इल्म होने से वाद हेतुक ग्राम पाटवा तहसील जैतारण में पैदा हुआ, इस वाद को सुनवाई का क्षैत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है वादीगण का वाद पत्र अन्दर म्याद पेश है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वादी अधिवक्ता [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता ने राजीनामा पेश किया, [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी राजीनामा में कथन किया कि आपसी समझौता/राजीनमा के अनुसार राजस्व ग्राम पाटवा तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 360/1245 रकबा 11.8735 किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल की 1/4 वां हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 1 रावतराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहेगी व खसरा नम्बर 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में से पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नि स्व. श्री लिखमाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहेगी। खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम भूमि में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादी संख्या 1 मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नि बालु, की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रहेगी, इसी खसरा एवं हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावे। राजस्व ग्राम पाटवा में वाके आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 184 रकबा 1.8777 हैक्टेयर (11-12 बीघा) किस्म बारानी दोयम भूमि प्रतिवादी संख्या 2 नोजीदेवी वापिस वादीगण सुन्दरी, मांगुडी उर्फ मांगदेवी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचाननामा उप पंजीयन कार्यालय जैतारण में एक माह के भीतर-भीतर निष्पादित करवायेगी। उक्त बैचाननामा के निष्पादन के दौरान रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प शुल्क इत्यादि का भुगतान वादीगण का होगा। यदि एक माह के भीतर-भीतर प्रतिवादी संख्या 2 नोजीदेवी द्वारा वादीगण सुन्दरी, मांगुडी उर्फ मांगदेवी के पक्ष में खसरा नम्बर 184 की भूमि का रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित नहीं करवाया गया, तो आप वादीगण कानूनी कार्रवाही कर दिनांक 21/12/2004 के लिखित बैचाननामें को निरस्त करवा सकेगी। जिसके तमाम हर्जे खर्चे के जिम्मेदारी एवं जवाबदार प्रतिवादीगण नोजीदेवी, रावतराम होंगे। साथ ही खसरा नम्बर 229 की भूमि आप वादीगण सुन्दरी, मांगुडी उर्फ मांगुडीदेवी की ही खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहेगी। इसी के माफिक वादीगण का वाद पत्र जरिए राजीनामा डिक्री मय निर्णय किया जावे तथा खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अतः राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना एवं समाज के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश/सुलह से राजीनामा हो जाने के कारण उपर्युक्त वर्णित राजीनामा के आधार पर वाद पत्र निर्णय मय डिक्री फरमावे।

वादीगण ने पत्रावली में प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा संख्या 229 रकबा 10-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में मेरा 1/2 वां हिस्सा था तथा मैनें अपने 1/2 हिस्से की भूमि लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 25.06.2012 को नारायणलाल पुत्र धुलाराम कौम सीरवी साकिन ग्राम पाटवा के बैचान कर दी थी। मगर राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम की प्रविष्टि होने के कारण भूलवश वादपत्र एवं राजीनामा में खसरा नम्बर 229 का उल्लेख किया गया है। जबकि मुझ सुन्दरी को खसरा नम्बर 229 के बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहिए, ना ही मैनें अपने वादपत्र में खसरा नम्बर 229 के बारे में कोई अनुतोष चाहा गया है। इसलिए वादपत्र का अवलोकन किया जाकर भूलवश किये गये खसरे नम्बर 229 के बाबत् मुझ वादी सुन्दरी के पक्ष में कोई अनुतोष नहीं दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (...)
जैतारण (पाली)

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2017–2020, 2022–2024, 2025–2028 से स्पष्ट है कि कालान्तर में खसरा संख्या 356, 359, 360/1245, 364 में पीथा वल्द जगमाल 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। एवं इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2017–2020 के खसरा संख्या 184, 229 में खातेदार काश्तकार थे।
2. जमाबन्दी संवत् 2033–2036 के अनुसार खसरा संख्या 356, 359, 360/1245, 364 में पीथा वल्द जगमाल के स्थान पर रावत (गोद) पीथा को 1/4 हिस्से को खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2042–2045 अनुसार खसरा संख्या 184, 229 में मांगूडी पत्नी बालू, सुन्दरी पत्नी लिखमा कौम सीरवी को खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया।
3. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अदालत में राजीनामा तस्दीक किया एवं सुन समझकर सही एवं सत्य होना स्वीकार किया, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।
4. वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 184 की नवीनतम जमाबन्दी संवत् 2074–77 को अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी में जरिए नामांतरकरण संख्या 2948 दिनांक 06.04.2023 को स्वीकृत कर वादीया मांगूदेवी व सुन्दरी देवी का नाम जरिए बेचान दर्ज/प्रविष्ठ किया जा चुका है। जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आपसी राजीनामा में लिखित कथन की पालना है। खसरा संख्या 184 के लिए वादीगण को अनुतोष प्राप्त हो चुका है अतः इस वादपत्र में खसरा संख्या 184 के अनुतोष के लिए कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
5. वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 229 के बारे में वादीया सुन्दरी को खसरा नम्बर 229 के बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहिए, ना ही वादपत्र में खसरा नम्बर 229 के बारे में कोई अनुतोष चाहा गया है। इसलिए वादपत्र का अवलोकन किया जाकर भूलवश राजीनामा में किये गए खसरे नम्बर 229 के बाबत् वादीया सुन्दरी के पक्ष में कोई अनुतोष नहीं दिलाए जाने का निवेदन किया। नवीनतम जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खसरा संख्या 229 अनुसार मांगूडी पत्नी बालू पहले से ही 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार है एवं वादीया सुन्दरी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा नारायणलाल पुत्र धुलाराम को बैचान करने से इस खसरे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आपसी राजीनामा अनुसार खसरा संख्या 229 में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
6. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आपसी राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 360/1245 रकबा 11.8735 किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल की 1/4 वां हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं[illegible]राम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहने सम्बन्धित कथन किये।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

7. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आपसी राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में से पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नि स्व. श्री लिखमाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहने सम्बन्धित कथन किये।
8. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आपसी राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम भूमि में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादी संख्या 1 मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नि बालु, की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहने सम्बन्धित कथन किये।
9. राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 360/1245 रकबा 11.8735 किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल की 1/4 वां हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 1 रावतराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रहने सम्बन्धित कथन किये। नवीनतम जमाबन्दी संवत् 2074-2077 अनुसार रावत दत्तक पुत्र जीता 1/4 हिस्सा पहले से ही खसरा संख्या 360/1245 के लिए 1/4 वां हिस्से के लिए खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। अतः खसरा संख्या 360/1245 के लिए कोई अनुतोष दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार वादीगण के दस्तावेजात एवं राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 184, 229, 360/1245 में अनुतोष के लिए कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। राजीनामा अनुसार खसरा संख्या 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में से पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादीया संख्या 2 सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नि स्व. लिखमाराम एवं खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम भूमि में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्से की भूमि वादीया संख्या 1 मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नि बालु को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 माफिक आपसी राजीनामा स्वीकार किया जाता है। माफिक राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्सा जो वर्तमान में रावत दत्तक पुत्र जीता हिस्सा 1/4 वां के रूप में दर्ज है को विलोपित करते हुए वादीया संख्या 2 सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नि स्व. लिखमाराम हिस्सा 1/4 वां का नाम दर्ज करते हुए इस आशाय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्सा जो वर्तमान में रावत दत्तक पुत्र जीता हिस्सा 1/4 वां के रूप में दर्ज है को विलोपित करते हुए वादीया संख्या 1 मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नि बालु का नाम दर्ज करते हुए इस आशाय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 12/05/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नी बालु जाति सीरवी, निवासी पाटवा हाल राजादण्ड तहसील जैतारण जिला पाली।		1. रावतराम पुत्र मोतीराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
2. सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नी स्व0 लिखमाराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।		2. नोजीदेवी पत्नी रावतराम जाति सीरवी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
		3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 14/2023

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, श्री मोहम्मद शरीफ पठान, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री घनश्याम सिंगाडिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 356 रकबा 6.8149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्सा जो वर्तमान में रावत दत्तक पुत्र जीता हिस्सा 1/4 वां के रूप में दर्ज है को विलोपित करते हुए वादीया संख्या 2 सुन्दरी पुत्री पीथा पत्नि स्व. लिखमाराम हिस्सा 1/4 वां का नाम दर्ज करते हुए इस आशाय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 359 रकबा 9.1135 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में पीथा वल्द जगमाल के 1/4 वां हिस्सा जो वर्तमान में रावत दत्तक पुत्र जीता हिस्सा 1/4 वां के रूप में दर्ज है को विलोपित करते हुए वादीया संख्या 1 मांगुडी उर्फ मांगुदेवी पुत्री पीथा पत्नि बालु का नाम दर्ज करते हुए इस आशाय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना अमल की तारीख से अदायगी तक .....–.....को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	2.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	11.00		मिजानः–	1.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:14 IST
Reason: SelfAttested